



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275649
CG-DL-E-21082026-275649

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4436]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4436]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सं. 33/2026-27

विषय : विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.25 में संशोधन।

का.आ. 4617(अ).— समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.03 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से एफटीपी, 2023 के पैरा 1.25 (घ) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

मौजूदा पैरा 1.25 (घ)	संशोधित पैरा 1.25 (घ)
स्तर प्रदान करने के लिए, पिछले सभी तीन वित्तीय वर्षों (और रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में) में निर्यात निष्पादन आवश्यक होगा।	स्तर प्रदान करने के लिए, पिछले सभी तीन वित्तीय वर्षों (और रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में) में निर्यात निष्पादन आवश्यक होगा। वशर्ते कि वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्तर (रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के अलावा) प्रदान करने के लिए, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किन्हीं भी दो वर्षों में निर्यात निष्पादन पर्याप्त होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

एफटीपी, 2023 के पैरा 1.25 (घ) में संशोधन करके, एफटीपी, 2023 के पैरा 1.25 के अन्य प्रावधानों के अधीन, तीन पिछले वित्तीय वर्षों में से किन्हीं भी दो वर्षों में निर्यात निष्पादन रखने वाले आवेदकों (रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा) को वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्तर प्रदान की अनुमति प्रदान की गई है।

इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/16/एएम-26/पीसी-I]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

No. 33/2026-27

Subject: Amendment in Para 1.25 of the Foreign Trade Policy, 2023.

S.O. 4617(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.03 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby makes the following amendments in Para 1.25 (d) of FTP, 2023, with immediate effect:

Existing Para 1.25 (d)	Revised Para 1.25 (d)
For granting status, an export performance would be necessary in all the three preceding financial years (and in all the two preceding financial years for Gems & Jewelry Sector).	For granting status, an export performance would be necessary in all the three preceding financial years (and in all the two preceding financial years for Gems & Jewelry Sector): Provided that for grant of One Star Export House status (other than for Gems & Jewelry Sector), export performance in any two out of the three preceding financial years shall be sufficient.

Effect of this Notification:

The Para 1.25(d) of the FTP, 2023 is amended to allow granting of One Star Export House status to applicants (other than for Gems & Jewelry Sector) who possess export performance in any two out of the three preceding financial years subject to other provisions of Para 1.25 of FTP, 2023

This issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/94/180/16/AM-26/PC-I]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex- Officio Addl. Secy.